छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001

अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7-व.सं./2001 दिनांक 25 अगस्त, 2001.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001** है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा।

(3) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.- इन नियमों में "अधिनियम" से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16)।

3. पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन.- किसी भी वनोपज का, छत्तीसगढ़ राज्य में या उसके बाहर या उसके भीतर, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति के सिवाय, इन नियमों से संलग्न प्ररूप क, ख या ग में अभिवहन पास के बिना गमनागमन नहीं किया जाएगा। अभिवहन पास, किसी वन अधिकारी या ग्राम पंचायत या ऐसा पास जारी करने के लिए इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा :

परन्तु कोई भी अभिवहन पास-

(क) किसी ऐसी वनोपज को, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे ग्राम की सीमाओं के भीतर, जिसमें यह पैदा हुई हो, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिए गए विशेषाधिकार या अधिनियम के अधीन मान्य किए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए हटाई जा रही है।

(ख) ऐसी वनोपज को, जिसे राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दी जाए।

(ग) ऐसी वनोपज को, जो तत्समय प्रवृत्त इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई धन संबंधी रसीद (मनी रिसीप्ट) रेटेड पास/वनोपज पास/कार्टिंग चालान के अन्तर्गत आती हो।

(घ) लघु वनोपज को, वन से स्थानीय बाजार को या संग्रहण केन्द्र को या घरेलू उपभोग के लिए हटाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

4. पास जारी करने वाले अधिकारी और व्यक्ति.- इन नियमों के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को अभिवहन पास जारी करने की शक्ति होगी-

(क) उस वनोपज के लिए, जो सरकार की हो, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, सब डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या कोई अन्य अधिकारी, जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

(ख) किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज के लिए, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या ऐसा कोई अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो या ग्राम पंचायत जिसकी अधिकारिता में वनोपज पाई गई हो या पैदा हुई हो-

(1) निम्नलिखित प्रजाति के काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी :-

(एक)	कैसूरिना	-	कैसूरिना इक्वेजेटिफोलिया
(दो)	सूबबूल	-	ल्यूसेनिया प्रजातियां
(तीन)	पापलर	-	पाप्युलस प्रजातियां
(चार)	इजरायली बबूल	-	एकेशिया टॉरटिलिस
(पांच)	विलायती बबूल	-	प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा
(छः)	मेन्जियम	-	अकेशिया मेन्जियम

(2) प्राइवेट भूमि (भूमिस्वामी) में पाये गये वृक्षों से अभिप्राप्त काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास नीचे अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा :-

(क) निम्नलिखित प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास, इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित "पंचायत स्तर समिति" (जिसमें कि सरपंच, वर्तमान सरपंच के पूर्ववर्ती, बीट गार्ड, पटवारी तथा वनसुरक्षा समिति/ग्राम वन समिति के अध्यक्ष सम्मिलित होंगे), की सिफारिश के अनुसार पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा (समिति की अनुशंसा पंचायत द्वारा संधारित पंजी में अभिलिखित की जायेगी) :-

(एक)	बबूल	-	अकेशिया निलोटिका
(दो)	सिरिस	-	अल्बीजिया प्रजातियां
(तीन)	नीम	-	अजाडरक्टा इंडिका
(चार)	बेर	-	जिजुफस प्रजातियां
(पांच)	पलास	-	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
(छः)	जामुन	-	साइजेजियम कुमिनी
(सात)	रिमझा	-	अकेशिया ल्यूकोफ्लोइया

(ख) 4 (ख) (1) तथा 4 (ख) (2)(क) में उल्लिखित से भिन्न समस्त प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के लिए अभिवहन पास, पंचायत स्तर समिति की सिफारिश के अनुसार, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी [जो वनपाल (फारेस्ट) से अनिम्न श्रेणी का न हो], के द्वारा जारी किया जाएगा।

(ग) जिले के भीतर वनोपज का परिवहन करने के लिए ग्राम पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिवहन पास जारी करेगा। जिले से बाहर वनोपज का परिवहन करने के लिए अभिवहन पास, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी (फारेस्ट आफिसर) द्वारा जारी किया जाएगा।

(घ) अभिवहन पास जारी करने के लिए, सुसंगत दस्तावेजों तथा जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के भीतर अभिवहन पास जारी किया जाएगा।

(ङ) लोक वानिकी मिशन के अधीन निजी स्वामित्व के काष्ठ का परिवहन भी ऊपर विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा।

(च) निर्धारित समयावधि में अभिवहन पास जारी नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

5. अभिवहन पास जारी करने के लिए शुल्क की दरें.- राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी, नियम 4 के उपबंधों के अनुसार अभिवहन पास जारी करने के लिए फीस की दरें नियत करेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य अधिसूचना

अधिसूचना क्र. एफ 7-61/व.सं./2001 दिनांक 14 जून, 2002.- छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित वनोपज के लिए परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित शुल्क निर्धारित करती है :-

क्र.	वनोपज का नाम	विहित फीस			
		रुपए	रुपए प्रति ट्रक	रुपए प्रति ट्राली	रुपए प्रति बैलगाड़ी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लाईम स्टोन, डोलोमाईट, फायरक्ले, मैंगनीज, कॉपर, रॉक-फास्फेट, पायरो-फिलाईट, डायास्पोर, ओकर, बाक्साईट, केलसाईट, कोयला, क्वार्टज, सिलिका सेंड, स्लेट, सोप स्टोन, आयरन ओर, सोना, कोरंडम एवं टीन अयस्क	7 रुपये प्रतिटन	-	-	-
2.	फ्लेग स्टोन, ग्रेनाईट, मार्बल, गिट्टी, पत्थर, रेत एवं मुरूम	4 रुपये प्रति घनमीटर	-	-	-
3.	काष्ठ जलाऊ एवं बांस	-	100/-	50/-	5/-

6. अभिवहन पास की विषयवस्तु.- (1) नियम 3 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक अभिवहन पास में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जायगा :-

(क) उस व्यक्ति का नाम, जिसे ऐसा पास मंजूर किया गया है,

(ख) उसके अंतर्गत आने वाली वनोपज की मात्रा और वितरण, लट्ठों की दशा में नाप सहित एक सूची अभिवहन पास के साथ संलग्न की जाएगी।

(ग) स्थान, जहां से तथा जहां तक ऐसी वनोपज का परिवहन किया जाना है,

(घ) वह मार्ग, जिससे ऐसी वनोपज का परिवहन किया जाना है,

(ङ) वह कालावधि जिसके लिए पास प्रवृत्त रहेगा,

(च) हथौड़े के वैध चिन्ह की छाप।

(2) अभिवहन पास, इन नियमों से संलग्न प्ररूप क, ख, या ग में नीचे उपदर्शित किये गये अनुसार जारी किया जावेगा :-

प्ररूप-क- वन अधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाए।